न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 75/2011–12 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0

1.फैयाज अहमद 2. मुस्तकीम 3. मुनसव 4. मुनफैत 5. मुसलीम 6. मुस्तफा पुत्रगण हमीद 7. साजिद पुत्र मुनफैत समस्त निवासीगण गांव कोटा मुरादनगर (कोटा खेड़ा), परगना रूड़की, हाल ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

बनाम

1. इरशाद पुत्र हनीफ 2. आजाद पुत्र मुनसफ 3. बल्लु पुत्र मंगू 4. विजयपाल पुत्र रतिराम 5. धूम सिंह पुत्र ओमीचन्द 6. नाथी राम पुत्र फूल्ला 7. लल्ला पुत्र मंगला 8. सुभाष पुत्र बल्ला 9. अय्यूब पुत्र साबिर 10. कय्यूम पुत्र साबिर 11. क्लसूम विधवा हनीफ 12. नौशाद पुत्र हनीफ 13. शाहिद पुत्र यासीन 14. शमशेर 15. अय्यूब पुत्रगण बुद्दू 16. खुशनुदा विधवा युसुफ 17. समद पुत्र अब्दुल मलिक 18. इकराम पुत्र अब्दुल मलिक 19. कासिम पुत्र हश्मत 20.मासूम 21. दिलशाद पुत्रगण कासिम 22. गुफरान पुत्र जग्गू 23. जादिर पुत्र यासीन 24.इरफान 25. कुरबान 26. एहसान पुत्रगण जमील सभी निवासीगण गांव कोटा मुरादनगर (कोटा खेड़ा), परगना रूड़की, हाल ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

27. भूमि प्रबन्धक समिति गांव कोटा मुरादनगर द्वारा अध्यक्ष/प्रधान गांव सभा, कोटा मुरादनगर (कोटा खेड़ा), परगना रूडकी (हाल ज्वालापुर), तहसील व जिला हरिद्वार।

28. विनोद कुमार 29. सुरेश कुमार 30. जितेन्द्र कुमार 31. अजय कुमार पुत्रगण धर्मवीर सिंह पुत्र बारू, निवासीगण कोटा मुरादनगर (कोटा खेड़ा), परगना रूड़की, हाल ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री जी0के0 मैठानी एवं श्री विनोद कुमार (अनुपस्थित)

अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या–01 व 02: श्री दिनेश प्रकाश त्यागी।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–01/2011 इरशाद आदि बनाम बल्लू आदि अन्तर्गत नियम–115पी जमींदारी विनाश अधिनियम में पारित निर्णयादेश दिनांक 09–07–2012 के विरूद्व इन आधारों पर योजित की गई है कि गांव कोटा मुरादनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर 872 मिन0 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी निगरानीकर्तागण एवं उत्तरदाता संख्या–01 व 02 के द्वारा धर्मवीर सिंह पुत्र बारू से सन! 1985 में क्रय करने के बाद से स्वामित्व व आधिपत्य में थी और मौके पर क्रेतागण की आबादी एवं कोल्हू बना हुआ था, कि चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ होने पर उक्त भूमि चकबन्दी प्रक्रियाओं से बाहर रखी गई थी और चकबन्दी आकार पत्र 2 में चकबन्दी के बाहर की भूमि के आकार पत्र 18 मे दर्ज कर दिखलाई गई, कि क्रेतागण को काबिज बजरिये बैनामा जो चकबन्दी आकार पत्र–5 में दर्ज कर दिखलाया गया था, कि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत खसरा संख्या–872 की उपरोक्त क्रेतागण की भूमि का नया खसरा नम्बर 710 बनाया गया

और खसरा नम्बर 872 की अन्य खातेदारों की मिनजुमला भूमि से खसरा नम्बर 711 बनाया गया मगर गलती से मौके के विरूद्व खसरा नम्बर 710 को नई परती तथा खसरा संख्या 711 में आबादी व कोल्हू के अन्तर्गत जोत चकबन्दी आकार पत्र–41 में दर्ज कर दिया गया, कि गांव में आवास स्थलों के आवंटन की कार्यवाही भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा की गई जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 17–02–2009 को किया गया, कि उपरोक्त आवासीय स्थलों का आवंटन करते हुए कागजात की गलत इन्द्राज की मौके पर जांच किये बिना ही खसरा नम्बर 117 व 172 व 710 को आवंटन कर दिया गया, कि क्रेतागण ने अपने क्रय की हुई भूमि खसरा नम्बर 710 जिसमें उसकी आबादी व कोल्हू मौके पर मौजूद था का आवंटन किये जाने पर क्रेतागण ने आपत्ति की, कि भूमि खसरा नम्बर 710 कुल रकबा 0.230 है0 का आवंटन नहीं किया और थोड़ा सा रकबा निगरानीकर्तागण को आवंटित किया और बाकी रकबा ऐसे व्यक्तियों तथा कास्तकारों को आवंटित किया गया जो आवास स्थल आवंटन के पात्र नहीं थे, कि सहक्रेता इरशाद व आजाद ने निगरानीकर्तागण सहित आवंटियों को विरोधी पक्षकार बनाकर न्यायालय कलेक्टर, हरिद्वार के न्यायालय में आपत्ति की थी जो निगरानीकर्तागण को सुनवाई के बिना ही आदेश दिनांक 09–07–2012 से खारिज कर दी गई एवं कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 09–07–2012 वाद पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं विधि के विपरीत है एवं निरस्त होने योग्य है।

इस निगरानी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है :–

उत्तरदाता संख्या–01 व 02 द्वारा विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष एक वाद नियम–115 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के अन्तर्गत आवासीय आवंटन दिनांक 27–01–2009 जिसकी स्वीकृति दिनांक 17–02–2009 को हुई को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। वाद में उत्तरदाता संख्या–12 से 17 एवं 19 से 26 द्वारा अपनी आपत्ति/उत्तर दिनांक 12–06–2012 को प्रस्तुत किया गया। विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा सुनवाई के पश्चात निर्णयादेश दिनांक 09–07–2012 से वाद निरस्त किया गया जिसके विरूद्व यह निगरानी निर्देशित है।

नियत दिनांक को निगरानीकर्तागण की ओर से किसी के उपस्थित न होने के कारण मैंने उत्तरदाता संख्या–01 एवं 02 के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का भली–भांति अध्ययन किया।

उत्तरदाता संख्या–01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि निगरानी निराधार है एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार ने अपने आक्षेपित निर्णयादेश में आवंटन प्रक्रिया का सविस्तार उल्लेख किया है एवं उसे नियम संगत एवं विधिसम्मत पाया है। यहां तक कि

प्रस्तावित आवंटन के अनुमोदन से पूर्व संबंधित सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी द्वारा उसके विरूद्व आपत्ति का भी अवसर प्रदान किया जाना उल्लिखित किया गया है एवं कोई आपत्ति न होने एवं प्रस्ताव विधिवत किये जाने के दृष्टिगत उसका अनुमोदन किया जाना उल्लिखित है।

मैं आक्षेपित निर्णयादेश के उक्त तात्विक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत वर्तमान निगरानी में धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में वर्णित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाता हूँ। अतः निगरानी गुणरहित है एवं अस्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।

आज दिनांक **05–06–2018** को खुले न्यायालय उद्घोषित हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।